

तारीख हुक्म	
26/11/19	<p>वकील वादी श्री चन्दनसिंह माठी द्वारा पत्रावली तलबी का प्रार्थना-पत्र पेश करने पर आज पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थना-पत्र की नकल वकील वादी को दिखाई गई। दोनों अधिवक्ताओं को सुना गया। इस पत्रावली का निर्णय व डिक्री को इस न्यायालय द्वारा आदेश (9) नियम (13) CPC के तहत दिनांक 14/11/19 को अपारस्त कर दिया गया था। जिसकी नकल दरख्वास्त के साथ पेश की गई है।</p> <p>अतः इस पत्रावली को उक्त आदेश के अनुसार पुनः नम्बर पर ली जाती है। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं दोनों पक्षों की उपस्थिति में राजीनामा प्रस्तुत कर जादिर किया कि दोनों पक्षों के बीच में राजीनामा हो गया है। इसलिए वादी इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। चूंकि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14/11/19 के द्वारा इस वाद का पूर्व निर्णय व डिक्री अपारस्त हो चुके हैं। इसलिए दोनों पक्षों द्वारा 144 CPC के तहत राजस्व रिकॉर्ड में इस न्यायालय के वाद सं. 56/2012 में पारित निर्णय व डिक्री से पूर्व की स्थिति प्रत्यास्थापित करने का निवेदन किया। जिसमें दोनों पक्ष सहमत हैं। इसलिए दोनों पक्षों का राजीनामा व धारा 144 CPC की दरख्वास्त स्वीकार किए जाते हैं। तथा यह आदेश दिया जाता है कि ग्राम खुजियाला के ख. न. 67 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में इस न्यायालय की निर्णय व डिक्री दिनांक 13/12/16 व संशोधित निर्णय व डिक्री</p>

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम _____

बनाम _____

सन् _____

नं. _____

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

दिनांक 15/12/16 को पालना में जो प्रविष्टि दर्ज की गई थी। उसे हटाई जाकर पुनः उससे पूर्व की राजस्व रेकॉर्ड की प्रविष्टि प्रस्थापित की जावे। इस आदेश की पालना हेतु तहसीलदार तिवरी को तहरीर जारी की जावे। चूंकि अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से काम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

बहायक कलेक्टर, भाबल